

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-69/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकुश जैन		<ul style="list-style-type: none">मैसर्स ओम कैफें एण्ड रेस्टोरेन्ट जरिये प्रोपराइटर चन्द्रसिंह टाक क्लॉक टॉवर के पीछे, मकराना मौहल्ला, जिला जोधपुरचन्द्रसिंह टाक चामी का घडा, राजमहल स्कूल के सामने, गुलाब सागर, जोधपुरशर्मिला टाक पत्नि चन्द्रसिंह टाक मियो का ढेर वार्ड नम्बर 31, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
, और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-29.09.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स ओम कैफें एण्ड रेस्टोरेन्ट जरिये प्रोपराइटर चन्द्रसिंह टाक व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 2,25,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण चन्द्रसिंह टाक की जायदद All that part and parcel of the residential property consisting of land and building, structure, erections, installations, etc, situated at Juni Bagar, District of Jodhpur. Total admeasuring about 4400 Sq. Feet

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawali,
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.29 18:30:52 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18065598

डवेली, दक्षिण में बलवंत राज का मकान, पूर्व में गली 8 फुट एवं पश्चिम में उगमराज का मकान आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 19.05.2025 तक 1,16,94,716/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 2,25,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 19.05.2025 तक 1,16,94,716/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद चन्द्रसिंह टाक की जायदाद All that part and parcel of the residential property consisting of land and building, structures, erections, installations, etc. situated at Juni Bagar Chowk, Near Ladnu Ki Haveli, Jodhpur. Total admeasuring about 4430.625 Sq. Feet जिसके उत्तर में लाडनू की डवेली, दक्षिण में बलवंत राज का मकान, पूर्व में गली 8 फुट एवं पश्चिम में उगमराज का मकान आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ganav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.29 18:30:52 IST
Reason: Approved